न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 150 / 2020 निर्णय दिनांक :– 20.06.2024

उनवानी वादः–

रामेश्वर पुत्र नन्दकिशोर जाति कुमावत उम्र 60 वर्ष निवासी सावर तहसील सावर जिला टोंक (राज.)

–वादी–

बनाम

छीतरमल पुत्र छोगा जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थिति :–

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता वादी

श्री महावीर सिंह राठोड़
श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 409 में वर्णित खसरा नम्बर 1902 / 69 रकबा 0.04 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 है0 वाके तनग्राम रामथला पटवार हल्का मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। वादी की उक्त वर्णित कृषि भूमि से प्रतिवादी को कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी जबरन वादी की उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा कर वादी को बेदखल करना चाहता है और आये दिन वादी के कब्जे, उपयोग–उपभोग व काश्त में बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिवादी भू–माफिया प्रवृति का व्यक्ति है, जो वादी की उक्त वर्णित बेशकीमती भूमि पर जबरन कब्जा कर खुर्द–बुर्द करना चाहता है। इस नियत से प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर निर्माण करने की नियत से वादी की भूमि पर जबरन मिट्टी डाल दी और अब अन्य निर्माण सामग्री डालने पर आमादा है जिसका कि प्रतिवादी को विधिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादी के द्वारा किये जा रहे उक्त कृत्य को प्रयास को रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसके लिए प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वयं, जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी के माध्यम से वादी की वाद वर्णित भूमि अथवा उसके किसी भी भू–भाग में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे, जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य नहीं करे, वादी को बेदखल नही करे तथा पाबंद रहे। यदि प्रतिवादी को उक्तानुसार पाबंद नहीं किया गया तो प्रतिवादी जबरन शक्ति के बल पर वादी की वाद वर्णित भूमि जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल कर देगा। इस कारण वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं होगा और मुकदमेबाजी बढ़ेगी तथा वादी बर्बाद हो जायेगें। वाद कारण दिनांक 04.10.2020

को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवांदी के द्वारा वादी की वाद वर्णित भूमि पर जबरन मिट्टी डालकर निर्माण करने पर आमादा होने व वादी के कब्जे–काश्त व उपयोग में बाधा उत्पन्न करने से उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। वाद वर्णित आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। उक्त वाद पत्र धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट के तहत उचित कोर्ट फीस व अंदर मियाद पेश हैं।

8. यह वादी की अधियाचना हैं कि –

(अ) वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार डिक्री किया जावे कि वे वादी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 409 में वर्णित खसरा नम्बर 1902/69 रकबा 0.04 है. कुल किता 1 कुल रकबा 0.04है. वाके तनग्राम रामथला पटवार हल्का मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है में प्रतिवादी स्वयं, जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी के माध्यम से वादी की वाद वर्णित भूमि अथवा उसके किसी भी भू–भाग में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे, जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य नहीं करे, भविष्य में मिट्टी, पत्थर या अन्य कोई सामग्री नहीं डाले, वादी को बेदखल नही करे तथा पाबंद रहे।

(ब) यह कि खर्चा मुकदमा व अन्य जो सहायता वादी के हित में हो प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर सिंह राठोड़ ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– वाद पत्र का चरण नं. 1 में वर्णित भूमि वादी के नाम खातेदारी में होना स्वीकार है, परन्तु वादी का उक्त भूमि में कब्जा–काश्त होने के कथन पूर्णतया गलत है, अस्वीकार है। वर्षों से प्रतिवादी का ही कब्जा–काश्त चला आ रहा है। वाद पत्र का चरण नं. 2 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 3 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रतिवादी ने वादी को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1802/69 रकबा 0.11 है0 एवं खसरा नम्बर 1902/69 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया था। उक्त भूमि मौके पर वादी ने एच. पी. कम्पनी का पेट्रोल पम्प स्थापित कर संचालित कर रहा है। वादी अपने प्रभाव का नाजायज इस्तेमाल कर प्रतिवादीं की भूमि खसरा नम्बर 1901/69 कुल रकबा 0.56 है0 भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की नियत से वादी के द्वारा पेट्रोल पम्प की चारदीवारी से भी अधिक भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। जिसका वादी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। मौके पर खसरा नम्बर 1802/69 रकबा 0.11 है0 एवं खसरा नम्बर 1902/69 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 से अधिक भूमि पर वादी का कोई अधिकार नही है। वाद पत्र का चरण नं. 4 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। वादी ने गलत तथ्य वर्णित करते हुए जबरन प्रतिवादी की भूमि को हड़पने के आशय से वाद

प्रस्तुत किया है तथा इस झूठे वाद की आड़ में प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी ने कभी भी वादी की उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है। वाद पत्र का चरण नं. 5 जिस प्रकार से लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है। वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत वाद पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादी ने झूठे तथ्य वर्णित करते हुए उक्त वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र का चरण नं. 6 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं. 8 में वर्णित अभियाचना बिन्दु अ, ब गलत है, अस्वीकार है। वादी ने माननीय न्यायालय से सही तथ्य छुपाते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध वाद पेश किया है जिसमें वादी आराजी खसरा नम्बर 1802 / 69 रकबा 0.11 है0 एवं खसरा नम्बर 1902 / 69 रकबा 0.04 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.15 है0 का प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि के लगवा भूमि का खातेदार है परन्तु प्रतिवादी ने जानबूझकर आराजी आराजी खसरा नम्बर 1802 / 69 रकबा 0.11 है0 को छुपाकर केवल खसरा नम्बर 1902 / 69 रकबा 0.04 है0 का वर्णन करते हुए वाद पेश किया है। क्योंकि वादी उक्त दावे के आधार प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि पर नाजाजय कर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है जिसका कि वादी को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने उपस्थित होकर कथन किया कि तनकियात बिन्दूओं की आवश्यकता नहीं है और साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पर पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद मिमो को दोहराते हुए वाद वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण को पाबन्द करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो का दोहरान करते हुए कथन किया कि वादी इस वाद के माध्यम से प्रतिवादी की जमीन पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है। वादी का वाद झूठा है, मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश किया जो चलने योग्य नहीं है।

अधिवक्ता वादी ने रिब्टल में कथन किया कि वादी की भूमि मापकर, प्रतिवादी को वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी भूमि मापने पर सहमति दी।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2073–76 वाके ग्राम रामथला ख. नं. 1902 / 69 रकबा 0.04 है0, का खातेदार के रूप दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण ने जवाब व बहस में बताया है कि वादी इस वाद के माध्यम से प्रतिवादी की भूमि 1901 / 69 रकबा 0.69 है0 पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादी ने अपने जवाब के पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सहादत पेश नहीं की है, जिससे जाहिर है कि प्रतिवादी का विवादित

आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु उभयपक्ष अधिवक्ता ने वादी की भूमि मापकर सीमाचिन्ह बताने की प्रार्थना की है।

अतः उभयपक्ष अधिवक्तागण सहमति अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वादी का वादी स्वीकार किया जाता है। वादी राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार काश्तकार की हैसियत रखने के कारण प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार देवली वादी की भूमि का सीमाज्ञान कर, वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में विवादित आराजी के सीमाचिन्हो से अवगत करावे तथा प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वाके ग्राम रामथला तहसील देवली के ख. नं. 1902 / 69 रकबा 0.04 है0 में या इस भूमि के किसी भी भाग में स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर—चाकर या अन्य किसी भी माध्यम या किसी भी प्रकार से वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग—उपभोग में बाधा उत्पंन्न नहीं करे, जबरन निर्माण कार्य नहीं करे, मिटटी पत्थर नहीं डाले व वादी को बेदखल नहीं करे। पाबन्द रहे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...
मुकाम देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टौं..................
उनवानी वादः–
रामेश्वर पुत्र नन्दकिशोर जाति कुमावत उम्र 60 वर्ष निवासी पावर तहसील पावर जिला टोंक (राज.)
–वादी–

बनाम

छीतरमल पुत्र छोगा जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
–प्रतिवादी–

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 150 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री सत्यनारायण धाकड़ अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री महावीर सिंह राठोड़ प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि...

आदेश

वादी का वादी स्वीकार किया जाता है। वादी राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार काश्तकार की हैसियत रखने के कारण प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार देवली वादी की भूमि का सीमाज्ञान कर, वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में विवादित आराजी के सीमाचिन्हो से अवगत करावे तथा प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वाके ग्राम रामथला तहसील देवली के ख. नं. 1902/69 रकबा 0.04 है0 में या इस भूमि के किसी भी भाग में स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी भी माध्यम या किसी भी प्रकार से वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पंन्न नहीं करे, जबरन निर्माण कार्य नहीं करे, मिटटी पत्थर नहीं डालें व वादी को बेदखल नहीं करे। पाबन्द रहे।

निजी..मुवलिक.......................................बाबत् ....
................................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 06 सन् 2024 को जारी किया गया।

बदस्तख्त ....

मुहर ओहदा ....

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत मेहनताना वकील		

वा:—150 / 2020 उनवान रामेश्वर पुत्र छीतर
देनांक:—20.06.2024

स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
मेहनताना वकील			फीस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत्		
फीस कमिश्नर			इजरायहुक्मनामा		
बाबत्			अन्य मिजान		
इजरायहुक्मनामा					
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए